डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शन: समग्र परिचय

[1]पुष्पा इन्दोरिया

शोध सारांश

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चिन्तन पटल बहुत व्यापक था, जिसमें विधि एवं राजनीतिक विचारों के साथ सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, धार्मिक इत्यादि विचारों को समाहित किया गया। डॉ. अम्बेडकर कुशल राजनीतिज्ञ, प्रतिबद्ध समाज सुधारक और विख्यात अधिवक्ता ही नही वरन् एक महान चिन्तक और लेखक भी थे। उन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन, सटीक विश्लेषण और संघर्षपूर्ण अनुभव के आधार पर मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना विस्तृत चिन्तन प्रस्तुत किया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने समाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए सतत् संधर्ष किया। भारतीय समाज में विद्यमान विषमता और संकीर्णताओं को दूर करने के लिए उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन पर बल दिया।

मूल शब्द: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकतंत्र, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय

Corresponding author

[1]सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, गौरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान

प्रस्तावना

एक लम्बे संघर्ष के बाद ब्रिटिश पराधीनता से मुक्त होकर भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्र हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन मात्र विदेशी शासन से मुक्ति के लिए आन्दोलन नही था अपितु यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए भी एक आन्दोलन था। इसमें यह भावना अन्तर्निहित थी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् न्याय, स्वतंत्रता और समता की प्राप्ति हो। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि इसमें समाज के सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। उनकी दृष्टि में संसदीय लोकतंत्र ही राष्ट्र की भौगोलिक विशालता, सांस्कृतिक विविधता तथा विभिन्न मत-मतान्तरों को एकसूत्र में आबद्ध रख सकता था। डॉ. अम्बेडकर की लोकतंत्र की संकल्पना राजनीतिक स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व की आम संकल्पना से अधिक

व्यापक थी। उन्होंने लोकतंत्र के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर बल दिया और यह कहा कि यदि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा।

डॉ. अम्बेडकर केवल भारतीय संविधान के निर्माता एवं करोड़ों शोषित-पीड़ित भारतीयों के मसीहा ही नहीं थे अपितु वे अग्रणी समाज सुधारक, श्रेष्ठ विचारक, तत्त्वचिंतक, अर्थशास्त्री, शिक्षाशास्त्री, पत्रकार, धर्म के ज्ञाता, कानून एवं नीति निर्माता और महान् राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने समाज और राष्ट्रजीवन के हर पहलू पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने जीवनपर्यंत सामाजिक-आर्थिक असमानता, अन्याय, अत्याचार तथा शोषण के खिलाफ संघर्ष किया तथा शोषितों-वंचितों के उत्थान एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

वे देश के एक विख्यात राजनेता और जननायक होने के बावजूद भी वे एक गंभीर चिंतक एवं विद्वान् थे। जनांदोलनों और राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने विभिन्न विषयों पर महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं जो उनके सच्चे बुद्धिजीवी होने का प्रमाण हैं। उनके चिंतन के अध्ययन के बिना हम भारत के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को समझ नही सकते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मानवविज्ञानी, शिक्षाविद्, पत्रकार, तुलनात्मक धर्म के विद्वान्, नीति निर्माता, प्रशासक तथा सांसद के रूप में उत्कृष्ट योगदान किया। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका अवदान अतुलनीय है।

डॉ. अम्बेडकर मानवाधिकारों तथा लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने लोकतंत्र के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर बल दिया और यह कहा कि यदि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र न हुआ तो केवल राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। उन्होंने सामाजिक लोकतन्त्र को राजनीतिक लोकतन्त्र की पूर्व शर्त के रूप प्रतिपादित कर भारत में लोकतन्त्र की सार्थक और गतिशील परिकल्पना प्रस्तुत की। अम्बेडकर भारत में राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ सामाजिक स्वतन्त्रता के भी पक्षधर थे। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार 'सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का मूलाधार है।

भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये किये गये संघर्ष का इतिहास डॉ. अम्बेडकर के अवदान का उल्लेख किये बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। सबको राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना ही डॉ. अम्बेडकर के जीवन का मूल संकल्प था। इसके लिए उन्होनें जीवनपर्यन्त संघर्ष किया। आधुनिक युग में न्यायपूर्ण समाज की रचना के लिये देश में जिन सुधारकों ने कार्य किया उनमें से अधिकांश को इस कार्य के लिए प्रेरणा परानुभूतिवश मिली। केवल डॉ. अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें यह स्वानुभूतिवश मिली। अछूत परिवार में जन्म लेने के कारण सामाजिक भेदभाव और तिरस्कार की जो पीड़ा अम्बेडकर ने झेली थी वह किसी

अन्य ने नहीं। इसलिये सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष विशेषरूप से दलितों के उद्धार के लिए संघर्ष को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय निरूपित किया। संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय पर आधारित भावी भारतीय समाज की परिकल्पना की और उसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिये संविधान में आवश्यक प्रावधान किये। डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में अनुसुचित जातियों, जनजातीय समूहों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य सभी कमजोर वर्गों के अधिकारों और अवसरों को परिभाषित किया गया।

डॉ. अम्बेडकर को केवल दलितों का नेता मानना, भारतीय लोकतन्त्र की स्थापना में उनके महान योगदान को कमतर आंकलन करने के समान होगा। डॉ. अम्बेडकर सिर्फ एक दलित नेता या भारत के शोषित लोगों के ही नेता नहीं थे। वे एक राष्ट्रीय नेता थे। भारतीय संविधान क निर्माण में उनका अमूल्य योगदान रहा। वे एक महान् समाज सुधारक, मानव अधिकारों के प्रखर प्रवक्ता और पददलितों के मुक्तिदाता थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारत की सामाजिक चेतना को जगाने में लगा दिया।

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानून तथा संविधान संबंधी विचार महत्वपूर्ण और प्रांसगिक हैं। भारतीय समाज और राजनीति के क्षेत्र में उनका योगदान जितना उल्लेखनीय है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनका अवदान उतना ही महत्वपूर्ण है। डॉ. अम्बेडकर ने समस्त मानव समस्याओं को मानवीय दृष्टि से देखा और ऐसे सुझाव रखे जो समयानुकूल एवं सार्थक है। उनकी अर्थ-नीति में भी मानववादी भाव अन्तर्निहित था। यही कारण है कि उनके आर्थिक विचार वर्तमान समस्याओं से जूझने का सामर्थ्य रखते हैं। अतः डॉ. अम्बेडकर के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए उनके विचारों का समग्र अध्ययन आवश्यक है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन

आधुनिक भारत के निर्माता डॉ. अम्बेडकर बहमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका चिंतन सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नही बल्कि उनका आर्थिक दर्शन एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु उनके द्वारा दी गई नियोजन की नीति अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। डॉ. अम्बेडकर ऐसे वर्ग में पैदा हुए थे जो सदियों से उपेक्षित एवं पिछड़ा हुआ था। उनके द्वारा यह अनुभव किया गया कि समाज में न केवल सामाजिक एवं राजनीतिक विषमता है बल्कि आर्थिक विषमता भी उग्र रूप धारण किये हुए है जिससे समाज का तीन-चौथाई भाग प्रभावित एवं पीड़ित है। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी कृतियों में अंग्रेजी सरकार की तत्कालीन कर नीति जैसे अत्यधिक भूमि लगान, नमक कर, इंग्लैण्ड तथा भारतीय उत्पादन पर असमान कस्टम ड्यूटी, जागीरदारी तथा जमींदारी व्यवस्था द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण तथा अंग्रेजी एवं भारतीय अधिकारियों के वेतन में भारी अन्तर को उजागर किया।

डॉ. अम्बेडकर मूलतः अर्थशास्त्री थे। उनके अध्ययन, अध्यापन और लेखन का प्रारम्भ अर्थशास्त्र से हुआ। उनका मानना था कि यदि परिस्थितिवश उन्हें सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में कार्य करने को विवश नहीं होना पड़ता तो वे अर्थशास्त्र का शिक्षक बने रहना पसन्द करते। डॉ. अम्बेडकर के अर्थशास्त्री होने की छाप उनके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में किए गए कार्य पर स्पष्ट अंकित है। वे सम्भवतः पहले ऐसे विचारक थे, जिन्होंने अस्पृश्यता तथा जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। अन्य देशों के संविधानों की तुलना में भारतीय संविधान में आर्थिक तथा वित्तीय प्रावधानों के बाहुल्य का श्रेय भी डॉ. अम्बेडकर के प्रभाव को ही जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का योगदान महत्वपूर्ण है।

भारत की स्वाधीनता के बाद यदि उन्हें समय मिलता तो निश्चित ही अर्थशास्त्री के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ दुनिया ले पाती। 1923 में भारत लौटने के बाद डॉ. अम्बेडकर देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित हो गए और अर्थशास्त्र विषय तथा आर्थिक मुद्दों पर अपना शोध जारी नही रख पाए। भारत लौटने के बाद वे समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के निदान के कार्य में लग गए। सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए भी उनके कार्यो में आर्थिक जुडाव था। उनका मानना था कि "आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नही होगी।" डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा (रुपए) की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया बल्कि इन मुद्दों से सम्बंधित समस्याओं के तर्किक एवं व्यावहारिक समाधान भी दिए।

स्वाधीनता के बाद डॉ. अम्बेडकर को अपनी समय राजनीति एवं कानून से जुड़े मुद्दों पर व्यय करना पड़ा। इससे भारत को जहां एक दूर दृष्टा संविधान विशेषज्ञ और करोड़ों लोगों का प्रिय नेता मिला, वहीं देश ने एक व्यावहारिक आर्थिक चिंतक खो दिया, जो मजबूत, लोकहितकारी आर्थिक नीतियों का पक्षधर था। डॉ. अम्बेडकर के दर्शन का मूल उद्देश्य जाति-पाति का विचार न करते हुए दीन हीन को आधार देते हुए सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता, समता और न्याय उपलब्ध करवाना है। जाति भेद रहित, वर्ग रहित और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक दर्शन का अंतिम लक्ष्य है।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने आर्थिक तंत्र में मूलतः व्यापार, बैंकिंग, रुपया, कृषि, मद्यनिषेध, जातिगत अर्थ नीति, औद्योगीकरण, मजदूरी, श्रमिक कल्याण, राज्य समाजवाद, भूमि सुधार, राजस्व आदि पर विचार

व्यक्त किये। वर्तमान स्थिति में डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचार सार्थक सिद्ध होंगे, जनमानस को दिशा निर्देश करेंगे और कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को लाभान्वित तथा संभालने में कारगर प्रमाणित होंगे। डॉ. अम्बेडकर द्वारा किए गए शोध आज के समय के लिए भी उपयुक्त हैं, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, असमानता, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय मुद्रा (रुपए) का अवमूल्यन आदि-आदि से सम्बंधित गंभीर विमर्श डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जा सकता है। डॉ. अम्बेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक न्यायसंगत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता हो, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई ख़त्म हो, लोगों का आर्थिक शोषण न हो तथा सामाजिक न्याय हो। डॉ. अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और शोधों का भारतीय समाज के संदर्भ में व्यावहारिक उपयोग किया। उनका यह अविस्मरणीय योगदान उनकी सशक्त सामाजिक-आर्थिक संवेदना और सामाजिक-आर्थिक गहन वैचारिकी का परिणाम हैं।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन

डॉ. भीमराव अम्बेडकर मात्र दलित-शोषित वर्ग के ही प्रतिनिधि नहीं थे वरन् एक राष्ट्रीय नेता थे। एक राजनेता, प्रशासक, न्यायविद, नीति-निर्माता के साथ-साथ सच्चे चिन्तक और विश्लेषक थे। लेखक-चिन्तक के रूप में उनका योगदान केवल विधि और राजनीति के क्षेत्र में ही नही रहा अपितु समाजशास्त्र, मानवविज्ञान, शिक्षा, पत्रकारिता, तुलनात्मक धर्म और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। डॉ. अम्बेडकर सच्चे अर्थो में भारत में पीडित मानवता के उद्धारक, मानवाधिकारों के प्रबल सर्मथक और सामाजिक न्याय के प्रखर प्रवक्ता थे।

विभिन्न जन आंदोलनों, सरकार और उसके बाहर उनकी बहुआयामी भूमिका उनकी विद्वत्ता को भी बहुआयामी बना देती है। एक राजनेता के रूप में उनका प्रभाव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नही था। यह बात भारत में उनके द्वारा स्थापित राजनीतिक पार्टियों की चुनावी सफलताओं से स्पष्ट हो जाती है। डॉ. अम्बेडकर सही मायनों में एक अखिल भारतीय राजनीतिक व्यक्तित्व थे। वे निर्विवाद रूप से समूचे भारत में प्रभाव रखने वाले पहले अस्पृश्य नेता थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कुशल राजनीतिज्ञ, प्रतिबद्ध समाज सुधारक और विख्यात अधिवक्ता ही नही वरन् एक महान चिन्तक, लेखक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन, सटिक विश्लेषण और संघर्षपूर्ण अनुभव के आधार पर मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना विस्तृत चिन्तन-दर्शन प्रस्तुत किया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चिन्तन मात्र सैद्धांतिक रचना

अथवा कोरा वाक्विलास नही था बल्कि उनका चिन्तन संर्धषपूर्ण परिस्थितियों के अनुभव का परिणाम था,जिसमें सामाजिक न्याय की प्रेरणा निहित है। डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन में तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तनों की योजना निहित है।

सामाजिक-आर्थिक असमानता, अन्याय, अत्याचार तथा शोषण के खिलाफ संघर्ष, शोषितों, वंचितों के उत्थान एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य की पृष्टभूमि में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का राजनीतिक चिन्तन निहित था। यह चिन्तन उनकी पारीवारिक पृष्टभूमि अथवा राजनीतिक अभिरूचि का परिणाम नही था अपितु यह तात्कालिक अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के विरुद्ध मानववादी बौद्विकता के असन्तोष का परिणाम था, जो एक मानववादी विवेक को अमानववादी स्थितियों के प्रतिकार के लिए प्रेरित कर रही थी। प्रारम्भ में डॉ. अम्बेडकर के सार्वजनिक प्रयास समाज सुधार की दिशा में ही केन्द्रित रहे और उन्होंने राजनीतिक दायरे में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने समय-समय पर अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात कहने का पुरजोर प्रयास किया, जब-जब उन्हें अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात कहने के लिए सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया। समय के साथ-साथ उनका विश्वास दृढ हो गया कि अस्पृश्यों की मुक्ति के लिए राजनीतिक कार्यवाइयां महत्त्वपूर्ण हैं। अतः बाद में वे अपनी अधिकाधिक ऊर्जा अस्पृश्यों को राजनीतिक रूप से संगठित करने में लगाने लगे।

20 जुलाई, 1924 को दलितों के रचनात्मक जीवन के उद्देष्य से 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की, जो दलितों में षिक्षा, प्रचार-प्रसार ,छात्रावास स्थापना, विद्या केन्द्र, क्रीड़ा केन्द्र, स्वाध्याय केन्द्र, स्वरोजगार हेतु कृषि और प्रायोगिक प्रषिक्षण, दलित समस्याओं का प्रतिनिधित्व आदि शुद्ध परोपकारी कार्य हेतु निर्मित की गई थी।" बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना सम्भवतः उनके सार्वजनिक मंच पर उपस्थिति दर्ज कराने का प्रथम और प्रत्यक्ष आगाज था। इसने न केवल मृतः प्राय दलितों मंे जागृति उत्पन्न की अपितु रचनात्मक जीवन के लिए भी दिषा दी। इसके पश्चात् उन्हांने तीव्र गति से अछूतों की मुक्ति का अभियान चलाया, उसने अम्बेडकर को संसार भर मे चर्चित कर दिया। उनके इस अभियान की मुख्य घटनाएं महाड़ सत्याग्रह एवं मनुस्मृति दहन 1927, कालाराम मंदिर प्रवेष, अमरावती मंदिर प्रवेष आदि ने अछूतों में नई जान फूँक दी।

भीमराव अम्बेडकर दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिये वैधानिक प्रावधान करवाने के लिये भी प्रयत्नशील थे। 1926 में भीमराव अम्बेडकर को बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल का सदस्य मनोनीत किया गया। कौंसिल के सदस्य के रूप में भी भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के उद्धार और सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिये अपने प्रयत्नों को जारी रखा। यहाँ अनेकों जनहित मुद्दों जैसे- खोती प्रथा उन्नमूलन विधेयक, बम्बई प्राथमिक शिक्षा

अधिनियम, छोटे किसानों संबंधी राहत विधेयक, जनसंख्या नियंत्रण, प्रसूति लाभ, बम्बई विष्वविद्यालय संषोधन विधेयक, बम्बई वंषानुगत कार्य अधिनियम 1928, षिक्षा के लिए अनुदान आदि पर सकारात्मक एवं तार्किक वक्ता के रूप मे उनकी सहरानीय भूमिका रही।"

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अत्यन्त दूरदर्शिता और बुद्धिमत्तापूर्वक महाड आन्दोलन का नेतृत्व किया। महाड़ सत्याग्रह के बाद भीमराव अम्बेडकर ने दलितों द्वारा उनके अधिकारों के प्रयोग के लिये पूना-पारवती सत्याग्रह, कल्याण मन्दिर प्रवेश सत्याग्रह आदि अनेक आन्दोलनों को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया। भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों के छात्रों के मध्य चेतना जाग्रत करने और उन्हें संगठित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 1927 में "समाज समता संघ" का भी गठन करवाया। इस दल का उद्देश्य दलित वर्गों के छात्रों के मध्य अनुशासन और आत्मनियन्त्रण की भावना जाग्रत करना था।

1928 में भारत के दौरे पर आये साइमन कमीशन के सम्मुख भीमराव अम्बेडकर ने ज्ञापन प्रस्तुत किया। भीमराव अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष अपने ज्ञापन में, बम्बई प्रेसिडेन्सी में दलित वर्गों के संरक्षण के लिये विशेष प्रावधान करने की माँग की। 1930 से 1933 के मध्य ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीन गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इन गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिये पृथक् निर्वाचक मण्डल सहित स्थानों के आरक्षण की मांग की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषित किया कि जब तक भारत के लिये प्रस्तावित राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक सत्ता में दलित वर्गों को समुचित भागीदारी नहीं दी जाती, भारत में स्वशासन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रहेगा।

1936 में डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पहली राजनीतिक पार्टी-इंडिपेंडेट लेबर पार्टी (आईएलपी) का गठन किया। अक्टूबर, 1936 में स्थापित 'इनडिपेण्डेन्ट लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया' ने 1937 में बम्बई प्रदेश विधान परिषद् के निर्वाचन में उत्साहजनक सफलता प्राप्त की। अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित 15 स्थानों में से 13 स्थान इस दल के प्रत्याशियों ने जीते, वहीं 2 सामान्य स्थानों पर भी दल के प्रत्याशी विजयी हुये। भीमराव अम्बेडकर के दल के सदस्यों ने विधान परिषद् में हरिजनों, मजदूरों व अन्य दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिये संगठित प्रयत्न किये।

1942 में ही भीमराव अम्बेडकर ने एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल के रूप में 'अनुसूचित जाति फैडरेशन' का गठन किया तथा 'इनडिपेण्डेन्ट लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया' का भी इसी में विलय कर दिया गया। डॉ. अम्बेडकर श्रम मंत्री के रूप में अपनी गतिविधियों के साथ-साथ अपनी पार्टी की रणनीति को भी तराशते रहे

और 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (एससीएफ) के नाम से एक नए संगठन का गठन किया। 'शेड्यूल्ड कास्ट्स' (अनुसूचित जतियाँ) उन अस्पृश्य जातियों का समूह था, जिनको सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया था। शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नौकरियों में इन जातियों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने यह सूची तैयार की थी। सभी मजदूरों में अपना राजनीतिक जनाधार फैलाने का प्रयास करने के बाद डॉ. अम्बेडकर अपनी कोशिशों को सिर्फ अस्पृश्यों के बीच ही सीमित करते गए। कांग्रेस की विराट राजनीतिक ताकत के सामने एससीएफ का कोई मेल नहीं बैठता था। लिहाजा मार्च 1946 में एससीएफ को प्रांतीय असेम्बलियों के चुनावों में भारी पराजय का सामना करना पड़ा और डॉ. अम्बेडकर स्वयं भी अपनी सीट नहीं जीत पाए।

प्रांतीय असेम्बलियों के चुनावों में असफलता के बावजूद अस्पृश्यों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक उभार जारी रहा। 3 अगस्त, 1947 को पण्डित नेहरू ने उन्हें अपनी सरकार में विधि मंत्री नियुक्त किया और तीन सप्ताह बाद 29 अगस्त को उन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई प्रारुप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्त्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। हिन्दू कोड बिल के विवादास्पद प्रावधानों पर कांग्रेसी सदस्यों से मतभेद के कारण ही भीमराव अम्बेडकर ने सितम्बर, 1951 में मन्त्रिपरिषद् से त्याग-पत्र दे दिया।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर का सम्पूर्ण चिन्तन सामाजिक न्याय पर आधारित है। उनके विचारों में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य का स्वरूप लोककल्याणकारी हो। राज्य सामाजिक न्याय की स्थापना तथा मानव अधिकार की रक्षा करे, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा करे, निर्बल वर्गों की सबल वर्गों के शोषण एवं अन्याय से रक्षा करे, साथ ही वह निर्बल वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा तथा सुविधा का प्रावधान भी करे, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो और वे राष्ट्रीय विकास में भागीदार बन सकें। राजनीति डॉ. अम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण भाग थी। डॉ. अम्बेडकर के जीवन की गतिविधियों का अधिकांश भाग राजनीतिक विषयों से जुडा था। डॉ. अम्बेडकर मुलतः राजनीतिज्ञ नही थे, लेकिन सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ बना दिया। उन्होंने देश-विदेश की राजनीति, समाज व्यवस्था एवं स्थिति का गहन अध्ययन किया। वे भारत में समता मूलक समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। मानव कल्याण ही उनकी राजनीति का केन्द्र बिंदु था।

संदर्भ सूची

1.किशोर मकवाना (संपा.), डॉ. अम्बेडकर आयाम दर्शन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2019, पृ. 7

2.नरेंद्र जाधव, डॉ. अम्बेडकर राजनीति, धर्म और संविधान विचार, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2017, पृ. 14

3.किशोर मकवाणा, वही, पृ. 50

4.रामगोपाल सिंह, सामाजिक न्याय एवं दलित संधर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2010, पृ. 27

5.वही, पृ. 37

6.नरेंद्र जाधव, वही, पृ. 14

7.सुमन सिंह, वही, पृ. 88

8.नरेंद्र जाधव, वही, पृ. 23-24

9.प्रवेश कुमार, डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक-आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता,] B R Ambedkar hindi.news18.com, Source: News18Hindi Last updated on : April 14, 2021 10 : 48 AM

10.सिंथिया स्टीफेन, प्रबुद्ध अर्थशास्त्र: अम्बेडकर और उनकी आर्थिक द्वष्टि, फारवर्ड प्रेस, farwardpress.in on June15, 2017

11.विकास सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव, https://hindi.theindianwire.com/Hkkjrh;&vFkZO;oLFkk&2331801, August 7, 2020 13:29

12.क्रिस्तोफ जाफ्रलो, अनुवाद-योगेन्द्र दत ,भीमराव अम्बेडकर एक जीवनी, राजकमल पेपरबैक्स, दिल्ली, 2020, पृ. 71

13.धनजय कीर, डॉ. अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, पापुलर प्रकाशन बम्बई तृतीय संस्करण, पुनर्मुद्रण 1987, पृ. 59

14.पूरण मल, बाबासाहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जीवन और संधर्ष, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ. 5

15.हरदान हर्ष, भारतरत्न बाबासाहेब बी. आर. अम्बेडकर, विचार-सन्देश, ऐश्वर्य प्रकाशन, जयपुर, 1993, पृ. 116.

16.पूरण मल, वही-12, पृ. 4-5

17.क्रिस्तोफ जाफ्रलो, वही-3, पृ. 74

18.पूरण मल, वही, पृ. 6

19.क्रिस्तोफ जाफ्रलो, वही, पृ. 17

20. पूरण मल, वही, पृ. 7